संख्या- 42 /2018 / 332 /चार-2018-135(वि0)/ 2007टीसी

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आल इण्डिया कैफी अकादमी , गुरूद्वारा रोड पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3321/सं0नि0-20(18)/2006-07 दिनांक 01 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आल इण्डिया कैफी अकादमी , गुरूद्वारा रोड पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण की पुनरीक्षित प्रायोजना में नये कला केन्द्र के अन्तर्गत स्टेज लाइटिंग,साउण्ड सिस्टम , स्टेज कर्टेनसिस्टम, फर्नीचर, किचन फनीर्शिग, आडीटोरियम बेंच, चेयर तथा पुरानी बिल्डिंग के रेनोवेशन कार्य के अन्तर्गत फर्नीचर,वाटर प्यूरीफायर कम चिलर,स्टेज कार्टेन,आर0ओ0 वाटर कूलर की आवश्यकता,औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत हेतु अनुपूरक मॉग के माध्यम से उपलब्ध कराये गये रू0 187.27 लाख को जोडते हुए परियोजना की मूल्यांकित परियोजना लागत (1333.43$ 187.27 लाख) रू0 1520.70 लाख निर्धारित की गयी है, के सापेक्ष अब तक कुल धनराशि रू0 1267.43 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आल इण्डिया कैफी अकादमी , गुरूद्वारा रोड पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण की पुनरीक्षित प्रायोजना में नये कला केन्द्र के अन्तर्गत अनुपूकर मॉग के माध्यम से रू0 187.27 लाख बजट प्राविधान में से धनराशि रू0 177.27 लाख (रूपये एक करोड सतत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संस्कृति यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्कृति निदेशालय की होगी।

(2) निदेशक, संस्कृति यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(4) निदेशक, संस्कृति यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) निदेशक, संस्कृति द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा

2- उक्त परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 1520.70 लाख का 5 प्रतिशत रू0 76.00 लाख को अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर की जायेगी।

3- शासनादेश संख्या-156 /2016/1783/चार-2016-135(वि0)/2005 टीसी दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -30- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई- 7-237 /दस-2018 दिनांक 19 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(लुटावन राम)
उप सचिव

संख्या - 42 / 2018 / 332 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- नगर आयुक्त , नगर निगम लखनऊ।
3 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 -प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
6 - सचिव, आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(लुटावन राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/